2006:CGHC:7009

पकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक – 2159/2000

संतोष शर्मा

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

विचारणीय निर्णय

08.11.2006

हस्ताक्षरित/–

एल.सी. भादू

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अगली सुनवाई हेतु नियत —— 14.11.2006

हस्ताक्षरित/–

वी.के. श्रीवास्तव

न्यायाधीश

2006:CGHC:7009

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

(युगलपीठ)

कोरम: माननीय श्री एल.सी. भादू, न्यायाधीश एवं माननीय श्री वी.के. श्रीवास्तव, न्यायाधीश

दाण्डिक अपील क्र. 2159/2000

अपीलार्थी – संतोष शर्मा, आयु लगभग 33 वर्ष,
पिता श्री देवचरण शर्मा, निवासी – खरौद, थाना शिवरीनारायण, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर–चांपा (छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी – छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, जिला दण्डाधिकारी, जांजगीर, जिला जांजगीर–चांपा (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित :

अपीलार्थी की ओर से : श्रीमति इंदिरा त्रिपाठी, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी राज्य की ओर से : श्री जी.डी. वासवानी, अतिरिक्त लोक अभियोजक, सहित श्री डी.सी. पांडे, पैनल अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक: 14 नवम्बर, 2006 को पारित

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय माननीय श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, न्यायाधीश द्वारा पारित::

1. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जांजगीर, सत्र खण्ड बिलासपुर द्वारा अपीलार्थी —— संतोष शर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया। अपीलार्थी को सत्र प्रकरण क्रमांक 270/98 में, दिनांक 25/07/2000 को पारित दोषसिद्धि निर्णय एवं दंडादेश द्वारा, आजीवन कारावास तथा जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है; एवं जुर्माने की व्यक्तिक्रम की स्थिति में विधिसम्मत अतिरिक्त दंड भुगतना होगा।

2. विचारण के दौरान प्रकट हुए अनुसार अभियोजन का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी जो है वह चूड़ामणि शर्मा का भतीजा है और चूड़ामणि शर्मा, वीरेंद्र कुमार का ससुर है। अपीलार्थी की दृष्टि चूड़ामणि शर्मा की संपत्ति पर थी। विवाह के पश्चात वीरेंद्र कुमार समय–समय पर अपने ससुराल आता–जाता था, जिसके कारण अपीलार्थी को संदेह हुआ कि चूड़ामणि शर्मा अपनी संपत्ति वीरेंद्र कुमार को दे देगा। इस कारण से अपीलार्थी को वीरेंद्र कुमार एवं उसके परिवार से शत्रुता हो गई थी। वर्ष 1997 में अपीलार्थी ने वीरेंद्र कुमार पर हमला किया था, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। दिनांक 12.04.1998 को वीरेंद्र कुमार की छोटी बहन कु. सरिता मिश्रा (अब मृतका) स्नान हेतु कौसडाल तालाब गई थी। जब वह स्नान कर रही थी, उसी समय अपीलार्थी वहाँ कुल्हाड़ी लेकर आया और उसने कु. सरिता मिश्रा पर हमला कर दिया। अपीलार्थी ने कुल्हाड़ी से कु. सरिता मिश्रा पर कई गंभीर वार किए, जिससे उसके शरीर पर गंभीर चोटें आईं और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। अपीलार्थी कुल्हाड़ी को धोकर घटनास्थल से फरार हो गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. मृतका सरिता मिश्रा के एक अन्य भाई विजय कुमार मिश्रा को संतोष पांडेय एवं संतोष मिश्रा ने यह सूचना दी कि अपीलार्थी ने उसकी बहन कु. सरिता मिश्रा की हत्या कर दी है। इस पर वह घटनास्थल पर पहुँचा और उसने देखा कि उसकी बहन सरिता मिश्रा मृत पड़ी थी, जिसके सिर, गर्दन एवं शरीर के अन्य भागों पर कई चोटें थीं और उन चोटों से रक्त बह रहा था। वह थाना शिवरीनारायण गया, जहाँ उसने मर्ग सूचना तथा प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई। पुलिस उप–निरीक्षक एन. खाईस ने मर्ग सूचना एवं प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की और घटनास्थल पर पहुँचकर पंचनामा कार्यवाही हेतु साक्षियों को सूचना दी। साक्षियों की उपस्थिति में पंचनामा कार्यवाही कर पंचनामा प्रतिवेदन तैयार की गई तथा मृतका सरिता मिश्रा का शव शव परीक्षण हेतु शासकीय अस्पताल, शिवरीनारायण भेजा गया। घटनास्थल से रक्तरंजित मिट्टी, साधारण मिट्टी, खोपड़ी के बाल, तथा मृतका सरिता मिश्रा की एक मोतीमाला जब्त की गई। अपीलार्थी के कब्जे से एक कुल्हाड़ी एवं एक छोटा तौलिया बरामद किया गया। पुलिस ने गवाहों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए।

4. डॉ. एन. प्रसाद एवं डॉ. आर.एस. प्रभाकर द्वारा शव परीक्षण (पोस्टमार्टम) किया गया। उन्होंने मृतका के शरीर पर पंद्रह चोटें पाईं और यह राय दी कि मृत्यु का कारण मस्तिष्क में रक्तस्राव एवं खोपड़ी की अस्थि टूटने के कारण हुआ कोमा था, तथा मृत्यु मानववध प्रकृति का था। उन्होंने अपनी प्रतिवेदन में समस्त

चोटों का विस्तृत विवरण दिया, मृतका के रक्तरंजित वस्त्र एवं आभूषणों को एकत्रित किया और उक्त प्रतिवेदन के साथ उन्हें पुलिस थाना प्रेषित किया। मौका नक्शा पटवारी द्वारा तैयार किया गया। अपीलार्थी के कब्जे से बरामद की गई कुल्हाड़ी को परीक्षण एवं राय हेतु चिकित्साधिकारी के पास भेजा गया। डॉ. एम. प्रसाद ने कुल्हाड़ी का परीक्षण किया और यह राय दी कि मृतका कु. सरिता मिश्रा के शरीर पर पाई गई चोटें जब्तशुदा हथियार से कारित हो सकती हैं। सभी जब्तशुदा सामग्रियों को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर भेजा गया, जहाँ से विश्लेषण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत अभियोग–पत्र (चालान) प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जांजगीर की न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को विचारण हेतु सत्र न्यायालय को उपार्पित किया।

5. विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आरोप विचरित किया, जिसे उसे पढ़कर सुनाया गया तथा समझाया गया, जिस पर उसने अपराध करने से इंकार किया। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने निर्दोषिता के अतिरिक्त, पागलपन (मनोविक्षिप्तता) का भी बचाव लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने डॉ. एन. प्रसाद (अ.सा./5) एवं डॉ. आर.एस. प्रभाकर (अ.सा./6) के चिकित्सकीय साक्ष्य पर भरोसा करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि सरिता मिश्रा की मृत्यु उसके शरीर पर लोहे की कुल्हाड़ी से विभिन्न चोटें पहुँचाकर की गई थी। न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों — विश्वनाथ (अ.सा./2), चंद्रिका बाई (अ.सा./3), दिनेश कुमार यादव (अ.सा./4), कु. सुशीला (अ.सा./8) एवं राजेन्द्र कुमार शर्मा (अ.सा./9) के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए यह माना कि अपीलार्थी ने कु. सरिता मिश्रा पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे मृत्यु कारित की। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख में विद्यमान समस्त साक्ष्यों का परीक्षण कर यह पाया कि अपीलार्थी द्वारा उठाया गया यह बचाव कि घटना के समय वह मानसिक विक्षिप्तता से पीड़ित था और उसका कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अधीन अपवाद में आता है — स्वीकार्य नहीं है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने का दोषी ठहराया तथा उसे दोषसिद्ध कर दंडित किया।

7. अपीलार्थी ने मृतका सरिता मिश्रा के शरीर पर पाई गई चोटों को मृत्युपूर्व का होना एवं उसकी मृत्यु को मनाववध प्रकृति का होना विवादित नहीं किया है । वैसे भी, डॉ. एन. प्रसाद (अ.सा./5) एवं डॉ. आर.एस. प्रभाकर (अ.सा./6) के कथनों तथा दोनों साक्षियों द्वारा प्रमाणित शव परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/4) से यह स्थापित हुआ कि सरिता मिश्रा को निम्नलिखित चोटें आई थीं और उन्हीं के कारण उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु का कारण मस्तिष्क में रक्तस्राव (brain haemorrhage) तथा खोपड़ी की अस्थि टूटने (skull fracture) से उत्पन्न कोमा था:

- पश्चकपाल एवं पार्श्वकपाल अस्थि के संगम क्षेत्र में 15 x 8 सेमी आकार की विदीर्ण (lacerated) घाव, जिसमें खोपड़ी की टूटी हुई पार्श्वकपाल अस्थि स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर थी।
- पश्चकपाल अस्थि के दाहिने भाग में 5 x 2 सेमी आकार की विदीर्ण घाव, जिसमें खोपड़ी की टूटी हुई हड्डी घाव के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी।
- पश्चकपाल अस्थि के बाएँ भाग में 6 x 2 सेमी आकार की चिरघात (incised wound), जिसमें स्पर्श करने पर टूटी हुई हड्डी की रेखा महसूस की जा सकती थी।
- बाएँ टेम्पोरल क्षेत्र में 5 x 1 x 1/4 सेमी आकार की चिरघात।
- बाईं आँख के पार्श्वीय भाग में 3 x ½ x ¼ सेमी की चिरघात।
- बाईं आँख के ऊपर 2 x ½ x ¼ सेमी की चिरघात।
- बाईं आँख के नीचे 2 x ½ x ¼ सेमी की चिरघात।
- बाएँ कान के नीचे, गर्दन के बाएँ भाग में क्षैतिज रूप से स्थित 3 x 1 x 1 सेमी की चिरघात।
- बाएँ गाल की ओर, नाक के पास 2 x 1 x ¼ सेमी की चिरघात।
- माथे के मध्य भाग में 3 x 1 x ½ सेमी की चिरघात।
- दाहिनी आँख के पार्श्वीय भाग में 2 x 1 x 1 सेमी की चिरघात।
- दाएँ कुहनी के पार्श्वीय भाग में तिरछी रूप से स्थित 5 x 3 सेमी की चिरघात, ऊपरी 1/3 त्रिज्या अस्थि (radius) टूटी हुई।
- बाएँ हाथ में 6 x 3 सेमी आकार की चिरघात, जो अस्थि गहराई तक पहुँची हुई, अस्थि टूटी हुई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

- बाएँ हाथ की पाँचवीं मेटाकार्पल अस्थि में 5 x 2 x 2 सेमी आकार की चिरघात, दाहिने हाथ की पश्चीय भुजा पर।
- बाएँ वक्ष (छाती) के पश्चीय भाग में 2 x ½ x ¼ सेमी आकार की चिरघात।

8. घटना को प्रत्यक्ष रूप से विश्वनाथ (अ.सा./2), चंद्रिका बाई (अ.सा./3), दिनेश कुमार यादव (अ.सा./4), कु. सुशीला (अ.सा./8) तथा राजेन्द्र कुमार शर्मा (अ.सा./9) ने देखा था। विश्वनाथ (अ.सा./2) ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से कहा कि उसने "बचाव–बचाव" की आवाज सुनी, जो तालाब के स्नान–स्थल (बरघट) की ओर से आ रही थी। जब उसने देखा तो पाया कि अपीलार्थी लोहे की कुल्हाड़ी (फरसा) से कु. सरिता मिश्रा पर वार कर रहा था, जिसके परिणामस्वरूप वह पानी में गिर पड़ी। अपीलार्थी रुका नहीं, बल्कि उस पर लगातार हमला करता रहा। चंद्रिका बाई (अ.सा./3) ने अपने कथन में कहा कि अपीलार्थी ने सरिता मिश्रा को पानी में धकेल दिया और फिर उस पर फरसे से वार करने लगा। सरिता मिश्रा ने "बचाव–बचाव" कहकर शोर मचाया। अपीलार्थी उस पर हमला करने के बाद घटनास्थल से भाग गया। दिनेश कुमार यादव (अ.सा./4) ने अपने कथन में कहा कि उसने "बचाव–बचाव" की आवाज सुनी, इस पर वह तालाब के किनारे गया और देखा कि अपीलार्थी सरिता मिश्रा पर "तब्बल" (कुल्हाड़ी) से हमला कर रहा था। सरिता मिश्रा को चोटें लगीं और वह पानी में गिर गई। कु. सुशीला (अ.सा./8) ने अपने कथन में कहा कि जब सरिता मिश्रा तालाब में स्नान कर रही थी, अपीलार्थी वहाँ आया, उसे पानी में धकेल दिया और उस पर फरसे से हमला किया। राजेन्द्र कुमार शर्मा (अ.सा./9) ने अपने कथन में कहा कि सरिता मिश्रा कपड़े धो रही थी, उसी समय अपीलार्थी आया, उसे पानी में धकेल दिया और फरसे से हमला किया। इन सभी साक्षियों का विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षण किया गया। साक्ष्य में केवल सामान्य और स्वाभाविक विरोधाभास एवं विसंगतियाँ पाई गईं, जो स्वाभाविक हैं; अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया जिससे इन साक्षियों के कथनों को अविश्वसनीय या दुर्भावनापूर्ण माना जा सके। इन सभी साक्ष्यों के सूक्ष्म परीक्षण के उपरांत, हमारा मत है कि प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य उजागर नहीं हुआ जिससे इन साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जा सके, विशेषतः जब कि इनके पास अपीलार्थी को झूठे अपराध में फँसाने का कोई वैमनस्य भी नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. डोरिवाल (अ.सा./10), मुकुंदा (अ.सा./12) एवं एन. खाईस (अ.सा./15) के कथनों से यह सिद्ध होता है कि अपीलार्थी के पास से एक फरसा बरामद हुआ था, जिसे उसके कब्जे से ज़ब्त किया गया। ज़ब्ती पंचनामा प्रदर्श पी/8 है। एन. खाईस (अ.सा./15) एवं डॉ. एन. प्रसाद (अ.सा./5) के कथनों से यह भी सिद्ध हुआ कि जब्तशुदा फरसे को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजा गया था, और परीक्षण के उपरांत डॉ. एन. प्रसाद (अ.सा./5) ने यह राय दी कि मृतका सरिता मिश्रा के शरीर पर पाई गई चोटें जब्तशुदा फरसे से कारित हो सकती हैं। प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी/1 तथा मर्ग सूचना प्रदर्श सं. पी/2 है। ये दोनों दस्तावेज विजय कुमार मिश्रा (अ.सा./1) एवं एन. खाईस (अ.सा./15) द्वारा सिद्ध किए गए हैं। घटना के तुरंत पश्चात् इन दोनों प्रतिवेदनो को दर्ज कराया गया था जिसमे ये आरोप लगाया था कि अपीलार्थी इस अपराध में संलिप्त है।

10. प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य, जो स्वयं में स्पष्ट है, अपीलार्थी के कब्जे से हथियार की बरामदगी तथा मर्ग सूचना एवं प्रथम सूचना प्रतिवेदन के साथ विधिपूर्वक पुष्ट है। अतः, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के उन कथनों पर भरोसा करते हुए, जो मर्ग सूचना, प्रथम सूचना प्रतिवेदन, चिकित्सकीय साक्ष्य एवं हथियार की बरामदगी से पुष्ट हैं, हम इस सुविचारित मत पर पहुँचते हैं कि अपीलार्थी ने एक लोहे के फरसे से, निहत्थी एवं असुरक्षित महिला सरिता मिश्रा के शरीर पर अनेक चोटें पहुँचाकर उसकी मृत्यु कारित की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. वीरेंद्र कुमार (अ.सा./13) ने अपने कथन में कहा कि अपीलार्थी जो है वह चूड़ामणि शर्मा का भतीजा है। अपीलार्थी की दृष्टि चूड़ामणि शर्मा की संपत्ति पर थी, किंतु जब विवाह के पश्चात वीरेंद्र कुमार समय–समय पर अपने ससुराल जाने लगा, तो अपीलार्थी को संदेह हुआ कि चूड़ामणि शर्मा अपनी संपत्ति उसे (वीरेंद्र कुमार) दे देंगे। इस कारण अपीलार्थी ने वीरेंद्र कुमार तथा उसके परिवारजनों से शत्रुता पालनी प्रारंभ कर दी और इसी कारण वर्ष 1997 में अपीलार्थी ने वीरेंद्र कुमार पर हमला भी किया था। कु. सरिता मिश्रा उसकी (वीरेंद्र कुमार की) छोटी बहन थी। उनके प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य उजागर नहीं हुआ जिससे उनके कथन की विश्वसनीयता को क्षति पहुँचे। अतः उनके कथन से यह तथ्य अभिलेख में आया कि अपीलार्थी को वीरेंद्र कुमार एवं उसके परिवार से शत्रुता थी, और यह सरिता मिश्रा की हत्या का एक संभावित हेतुक हो सकता है

12. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह जोरदार तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त करने का अधिकारी है, क्योंकि वह पैरानॉयड सिज़ोफ्रेनिया नामक मानसिक रोग से पीड़ित था, और इस बीमारी के कारण वह विक्षिप्त मानसिक स्थिति में था तथा अपनी मानसिक विक्षिप्तता के कारण न तो अपने कृत्य की प्रकृति को समझने में सक्षम था और न ही यह जानने में कि जो वह कर रहा है वह गलत है या विधि के विरुद्ध है। अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता ने इस तर्क के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय **दह्याभाई बनाम गुजरात राज्य**, AIR 1964 SC 1563 (V 51 C 210) तथा माननीय बंबई उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय **गोविंद रामचंद्र जाधव बनाम महाराष्ट्र राज्य**, 1996 क्रिमिनल लॉ जर्नल 4186, पर भरोसा व्यक्त किया। इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना के समय अपीलार्थी किसी भी प्रकार की मानसिक विक्षिप्तता से पीड़ित नहीं था, अतः वह भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के संरक्षण का पात्र नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. भारतीय दंड संहिता, 1860 — धारा 84

> " धारा 84 – विकृतचित्त व्यक्ति का कार्य – कोई भी कार्य अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाती है, जो उसे करते समय चित्त – विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है ,जानने में असमर्थ है।

14. विक्षिप्तता (पागलपन) के संबंध में यह सिद्धांत स्थापित है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक मानसिक रूप से स्वस्थ (सचेत) माना जाता है, जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न कर दिया जाए। विक्षिप्तता के आधार पर बचाव स्थापित करने हेतु यह स्पष्ट रूप से सिद्ध किया जाना आवश्यक है कि अपराध करते समय अभियुक्त ऐसी मानसिक विकृति से पीड़ित था कि वह अपने किए गए कार्य की प्रकृति एवं गुणवत्ता को जानने में असमर्थ था। और यदि वह अपने मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अपवाद में लाना चाहता है, तो उस पर यह दायित्व है कि वह ऐसे परिस्थितियों का अस्तित्व सिद्ध करे जो उसके मामले को उक्त अपवाद के अंतर्गत लाती हों। ऐसे प्रकरणों में **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 105** तथा उसमें उल्लिखित दृष्टांत (क) का अनुप्रयोग होता है, जो निम्नानुसार है:

"धारा 105 — . यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है — जबकि कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है, तब उन परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार, जो उस मामले को भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के साधारण अपवादों मे से किसी के अन्तगर्त या उसी संहिता के किसी अन्य भाग में, या उस अपराध की परिभाषा करने वाली किसी विधि में, अंतर्विष्ट किसी विशेष अपवाद या परन्तुक के अन्तगर्त कर देती है, उस व्यक्ति पर है और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव की उपधारणा करेगा ।

दृष्टांत

(1) **हत्या का अभियुक्त, क अभिकथित करता है कि वह चित्तविकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति नहीं जानता था। सबूत का भार क पर है।"**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **दह्याभाई** (पूर्वोक्त) वाद में निर्णय पारित करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 84 तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 में निहित प्रावधानों का विश्लेषण किया और निम्नलिखित रूप में अभिमत व्यक्त किया

"भारतीय दंड संहिता, 1860 — धारा 84 — विक्षिप्तता का अभिवाक् — प्रमाण — अपराध के पूर्व, पश्चात एवं घटित होने के समय की परिस्थितियाँ विचारणीय हैं।

जब किसी अभियुक्त द्वारा विधिक विक्षिप्तता का बचाव उठाया जाता है, तब न्यायालय को यह विचार करना होता है कि क्या अपराध करते समय अभियुक्त मानसिक विक्षिप्तता के कारण इस योग्य नहीं था कि वह किए गए कार्य की प्रकृति को समझ सके, या यह जान सके कि वह जो कर रहा है वह गलत है या विधि के प्रतिकूल है। अभियुक्त की मानसिक स्थिति का निर्धारण करने का निर्णायक समय वही है जब अपराध घटित हुआ। क्या अभियुक्त ऐसी मानसिक स्थिति में था कि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के लाभ का पात्र हो, यह केवल उन परिस्थितियों से सिद्ध किया जा सकता है जो अपराध के पूर्व, अपराध के दौरान एवं अपराध के पश्चात विद्यमान थीं।

(e) भारतीय दंड संहिता, 1860 — धारा 84 — विक्षिप्तता का अभिवाक् — प्रमाण — अभियुक्त द्वारा असहाय एवं असुरक्षित महिला पर अनेक प्रहार।

कई मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने पीड़ितों को आवश्यक से अधिक घातक प्रहार देते हैं। प्रहारों की संख्या संभवतः अभियुक्त की प्रतिशोधात्मक मानसिकता या यह सुनिश्चित करने की दृढ़ता को दर्शा सकती है कि पीड़िता को कोई अवसर न मिले। कोई व्यक्ति जब हत्या करता है, तो वह अपने प्रहारों की गिनती नहीं करता। यह तथ्य मात्र यह सिद्ध नहीं करता कि अभियुक्त कोई भ्रांति के प्रभाव में कार्य कर रहा था।

(g) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 — धाराएँ 101, 105, 4 — मानववध का प्रकरण — विक्षिप्तता का बचाव — प्रमाण का भार (एस) ए.आई.आर. 1956 नागपुर 187 के निर्णय को उलट दिया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह दंड न्यायशास्त्र का मौलिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक अभियोजन यह संदेह से परे सिद्ध न कर दे कि अभियुक्त ने अपराध किया है। अतः, हत्या के प्रकरण में अभियोजन पक्ष को संदेह से परे यह सिद्ध करना होता है कि अभियुक्त ने भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में वर्णित अपेक्षित आपराधिक दुराशय के साथ मृत्यु कारित की। यह सामान्य भार कभी स्थानांतरित नहीं होता और सदैव अभियोजन पर ही बना रहता है। परंतु, साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के अधीन, अपवादों के अंतर्गत लाने वाली परिस्थितियों का अस्तित्व सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर होता है; और न्यायालय यह अनुमान लगाएगा कि ऐसी परिस्थितियाँ अनुपस्थित थीं। धारा 105 को धारा 4 में परिभाषित उपधारणा करेगा के साथ पढ़ने पर न्यायालय यह मानेगा कि ऐसी परिस्थितियाँ अस्तित्व में नहीं थीं, जब तक कि प्रस्तुत सामग्री से उसे यह विश्वास न हो जाए कि वे परिस्थितियाँ वास्तव में अस्तित्व में थीं या उनकी संभावना इतनी अधिक थी कि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति उन्हें मान्यता देता। दूसरे शब्दों में कहें तो, अभियुक्त को यह अनुमान खंडित करना होगा कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं थीं, इसके लिए वह मौखिक, दस्तावेजी, या परिस्थितिजन्य साक्ष्य, अथवा अभियोजन के साक्ष्य भी न्यायालय के समक्ष रख सकता है। यदि प्रस्तुत साक्ष्य "सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति की

कसौटी" पर खरे उतरते हैं, तो अभियुक्त अपना भार निर्वहन कर देता है। ऐसा साक्ष्य भले ही धारा 105 के अधीन भार को पूर्णतः संतुष्ट न करे, लेकिन यह न्यायालय के मन में अपराध के आवश्यक तत्वों, जैसे अभियुक्त की आपराधिक मन: स्थिति के संबंध में संदेह उत्पन्न कर सकता है। यदि न्यायालय को इस प्रकार संदेह हो, तो अभियुक्त को दोषमुक्त करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा होगा कि अभियुक्त अपराध का दोषी है। विक्षिप्तता को बचाव के सन्दर्भ में "प्रमाण भार" के सिद्धांत को निम्नलिखित प्रतिपादनों में संक्षेपित किया जा सकता है: अभियोजन को यह संदेह से परे सिद्ध करना होता है कि अभियुक्त ने आवश्यक आपराधिक मन: स्थिति के साथ अपराध किया है; और यह भार विचारण की प्रारंभ से लेकर अंत तक अभियोजन पर ही रहता है। यह एक अखंडनीय अनुमान होता है कि अभियुक्त अपराध करते समय विक्षिप्त नहीं था, जैसा कि धारा 84 में परिभाषित है; अभियुक्त इसे मौखिक, दस्तावेजी या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा खंडित कर सकता है, और इसका प्रमाण भार उतना ही है जितना दीवानी वादों में पक्षकार पर होता है। यदि अभियुक्त यह पूरी तरह सिद्ध करने में असफल रहता है कि वह अपराध करते समय विक्षिप्त था, तब भी अभियुक्त या अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य न्यायालय के मन में अपराध के किसी आवश्यक तत्व, विशेषतः आपराधिक मन: स्थिति के संबंध में संदेह उत्पन्न कर सकता है; ऐसी स्थिति में न्यायालय अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकता है, क्योंकि अभियोजन अपने सामान्य प्रमाण भार का निर्वहन करने में असफल रहा होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. बंबई उच्च न्यायालय द्वारा **गोविंद रामचंद्र जाधव (उपरोक्त) वाद में पारित निर्णय में यह अभिमत व्यक्त किया गया कि—** यदि अभियुक्त सिज़ोफ्रेनिया नामक मानसिक रोग से पीड़ित हो और अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहे कि अभियुक्त के पास आवश्यक आपराधिक मन: स्थिथि थी, तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के प्रावधानों का लाभ प्राप्त होता है तथा वह दोषमुक्ति का अधिकारी हो जाता है।

17. विधि के प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों से यह स्पष्ट होता है कि यदि विक्षिप्तता का बचाव लिया गया है, तो न्यायालय को यह विचार करना होता है कि क्या अपराध किए जाने के समय अभियुक्त, मानसिक विक्षिप्तता के कारण, इस योग्य नहीं था कि वह अपने कार्य की

प्रकृति को जान सके या यह समझ सके कि वह जो कर रहा है वह सही है या गलत। अभियुक्त की मानसिक अवस्था का निर्धारण उस निर्णायक क्षण पर करना होता है जब अपराध घटित हुआ, और इसके लिए आवश्यक है कि उन परिस्थितियों का विचार किया जाए जो अपराध से पूर्व, अपराध के समय तथा अपराध के पश्चात रही हों। यदि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री से यह सिद्ध हो जाए कि उक्त परिस्थितियों का अस्तित्व इतना संभाव्य था कि एक सामान्य प्रज्ञावन व्यक्ति उन पर कार्य करता, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अपवाद का लाभ प्राप्त करने हेतु अभियुक्त पर जो प्रमाण भार था, वह संतोषजनक रूप से निर्वहित माना जाएगा।

18. यह उल्लेखनीय है कि भले ही अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के अंतर्गत प्रमाणों का भार आरोपित किया जाना पर्याप्त नहीं है, किंतु यदि वह न्यायाधीश के मन में अपराध के किसी आवश्यक तत्व, जिसमें अभियुक्त की आपराधिक मन: स्थिति भी सम्मिलित है, के संबंध में उचित संदेह उत्पन्न करता है, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त दोषमुक्ति का अधिकारी हो जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विक्षिप्तता के बचाव के मूल्यांकन में सहायक रूप से, 'स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण' विषयक एक लेख, जो इंटरनेट पर वेबसाइट http://www.psychiatry24x7.com पर उपलब्ध है (जिसे दिनांक 29.10.2006 को देखा गया), में वर्णित निम्नलिखित अनुच्छेद इस विषय में प्रासंगिक प्रतीत होता है:

> "सिज़ोफ्रेनिया के लक्षण सामान्यतः समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। पुनरावृत्ति की अवस्था में ये लक्षण तीव्र हो जाते हैं तथा विश्रांति की अवधि में इनमें सुधार आता है। कुछ व्यक्तियों को केवल एक बार मनोवैज्ञानिक प्रकरण होता है, जबकि अन्य को अनेक प्रकरणों का सामना करना पड़ता है, किंतु वे उन प्रकरणों के बीच सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं और भावनात्मक रूप से स्वस्थ एवं स्थिर प्रतीत होते हैं। हालांकि, जिन व्यक्तियों को दीर्घकालिक सिज़ोफ्रेनिया होता है अथवा जिनमें लक्षण सतत या आवर्तक रूप में बने रहते हैं, वे सामान्यतः पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्तियों को दीर्घकालिक उपचार की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रायः उनके परिजनों एवं मित्रों की सहभागिता के माध्यम से लक्षणों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है।

माध्यमों (मीडिया) द्वारा मानसिक बीमारी को प्रायः हिंसात्मक व्यवहार से जोड़ा जाता है; तथापि, जब तक कोई व्यक्ति अपने रोग के प्रारंभ से पूर्व हिंसक व्यवहार नहीं करता अथवा मादक पदार्थ या शराब की समस्या से ग्रस्त नहीं होता, तब तक सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्ति सामान्यतः हिंसक प्रवृत्ति के नहीं होते। अधिकांश सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्ति कतई हिंसक नहीं होते, बल्कि वे आत्म–संकोची प्रवृत्ति के होते हैं और अकेला रहना पसंद करते हैं।"

20. विजय कुमार मिश्रा (अ.सा./1) के प्रतिपरीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने विक्षिप्तता का बचाव लेने के स्थान पर वैमनस्य का बचाव प्रस्तुत किया। प्रतिपरीक्षण के दौरान विश्वनाथ (अ.सा./2), चंद्रिका बाई (अ.सा./3), दिनेश कुमार यादव (अ.सा./4) से भी अपीलार्थी द्वारा विक्षिप्तता का कोई बचाव प्रस्तुत नहीं किया गया।प्रथम बार 24.04.2000 को, जब साक्षी कु. सुशीला को साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया, उसके प्रतिपरीक्षण के दौरान विक्षिप्तता का बचाव लिया गया। प्रतिपरीक्षण में कु. सुशीला (अ.सा./8) ने कहा कि घटना के पूर्व अपीलार्थी का व्यवहार पागल जैसा था, इसलिए वह फरसा लेकर इधर–उधर घूमने लगा था। राजेन्द्र कुमार शर्मा (अ.सा./9) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि घटना के लगभग 10–15 दिन पूर्व से अपीलार्थी फरसा लेकर घूम रहा था। मुकुंद (अ.सा./12) ने भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि घटना से लगभग 10–15 दिन पूर्व अपीलार्थी फरसा लेकर घूमता था और जब भी वह स्नान के लिए जाता, तो वह फरसा साथ लेकर जाता था। उपरोक्त कथनों से, यदि उन्हें सत्य मान भी लिया जाए, तो न्यायालय के समक्ष केवल यही परिस्थिति प्रस्तुत की गई है कि अपीलार्थी घटना से पूर्व फरसा लेकर गाँव में घूम रहा था। यह ऐसा असामान्य व्यवहार नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि अपीलार्थी मानसिक विक्षिप्तता की अवस्था में था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. डॉ. प्रकाश नारायण शुक्ल (बचाव साक्षी/1) ने अपने कथन में कहा कि अपीलार्थी पैरानॉयड सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित था। उसका उपचार उनके पास पहली बार दिनांक **16.07.1992** को प्रारंभ हुआ और अंतिम बार दिनांक **25.03.1997** को वह उनके पास लाया गया था। प्रतिपरीक्षण में उन्होंने यह स्वीकार किया कि दिनांक **25.03.1997** के पश्चात अपीलार्थी की मानसिक स्थिति के विषय में वे कोई स्पष्ट अभिमत नहीं दे सकते। जबकि घटना दिनांक **12.04.1998** को हुई थी और इस गवाह द्वारा अपीलार्थी की जांच घटना के लगभग एक वर्ष पूर्व की गई थी। अतः, इस साक्षी के कथन से घटना की तिथि पर अपीलार्थी की मानसिक स्थिति का यथार्थ निर्धारण नहीं किया जा सकता। दूसरे बचाव साक्षी

छेदीलाल (बचाव साक्षी/2) के कथन से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने कभी भी अपीलार्थी को कोई गलत कार्य करते नहीं देखा, कभी किसी से झगड़ते नहीं देखा, तथा उन्हें कभी अपशब्द कहते, चिल्लाते या बड़बड़ाते हुए नहीं पाया गया।

22. अपीलार्थी को दिनांक 12.04.1998 को गिरफ़्तार किया गया था, किंतु उस समय उसने विक्षिप्तता का कोई बचाव प्रस्तुत नहीं किया। विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि जब उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, तब उसने अपने बचाव के लिए अधिवक्ता नियुक्त करने हेतु स्थगन की प्रार्थना की थी। जब उस पर आरोप विचरित कर उसे समझाया गया, तब उसने दोष स्वीकार नहीं किया (अभियोग से इंकार किया)। दिनांक 16.08.1999 को अपीलार्थी ने न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उसने अपनी हृदयगति तेज होने एवं शरीर में कंपन की शिकायत करते हुए उचित उपचार की मांग की थी। उस समय भी अपीलार्थी द्वारा यह तथ्य उजागर नहीं किया गया कि वह पैरानॉयड सिज़ोफ्रेनिया या किसी अन्य मानसिक रोग से पीड़ित था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. विचारण न्यायालय के निर्णय के कंडिका 38 से भी यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा मानसिक रोग से पीड़ित होने की शिकायत किए जाने पर उसे उपचार हेतु रायपुर एवं जबलपुर भेजा गया था, किंतु दोनों स्थानों पर जांच के पश्चात यह पाया गया कि वह एनीमिक (रक्ताल्पता से ग्रस्त) है एवं कार्य करने में असमर्थ है, शेष स्थितियाँ संतोषजनक पाई गईं। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साक्षियों के परीक्षण के पश्चात अपीलार्थी का परीक्षण स्वयं न्यायालय द्वारा किया गया, जिसमें अपीलार्थी ने अत्यंत सावधानीपूर्वक एवं समझदारी के साथ सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। अपने परीक्षण में भी अपीलार्थी ने यह नहीं कहा कि वह विक्षिप्त (insane) था, बल्कि उसने यह कहा कि सभी साक्षियों ने वैमनस्यवश उसे झूठा फँसाया है।

24. मुकुंद (अ.सा./12) ने अपने कथन में कहा कि उसने अपीलार्थी को तालाब में तब्बल धोते हुए देखा और जब उसने उसे देखा, तो अपीलार्थी वहाँ से भागकर अपने घर के भीतर चला गया। प्रतिपरीक्षण में उसने यह स्पष्ट किया कि जब अपीलार्थी हथियार धोने के बाद उसे सुखा रहा था, तभी उसने उसे देखा। उसका कथन किसी भी प्रकार के दोष से ग्रस्त नहीं है, और उसके कथन से यह स्पष्ट एवं स्थापित होता

है कि घटना के पश्चात अपीलार्थी ने अपराध में प्रयुक्त हथियार को धोकर सुखाया और साक्षी मुकुंद द्वारा देखे जाने पर वह हथियार लेकर अपने घर चला गया।

25. वर्तमान प्रकरण में इसमें कोई संदेह नहीं कि अपीलार्थी का एक वर्ष पूर्व डॉ. प्रकाश नारायण शुक्ल (बचाव साक्षी/1) द्वारा पैरानॉयड सिज़ोफ्रेनिया रोग के लिए उपचार किया गया था। घटना की तिथि से पूर्व अपीलार्थी को कई दिनों तक गाँव में फरसा हाथ में लेकर इधर–उधर घूमते हुए देखा गया था। घटना के पश्चात ऐसा कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है जिससे यह स्थापित हो सके कि अपीलार्थी को सिज़ोफ्रेनिया का कोई प्रकरण (हुआ था। विचारण के दौरान अपीलार्थी ने दीर्घकाल तक यह तथ्य उजागर नहीं किया कि वह किसी मानसिक रोग से पीड़ित है। उसने प्रतिपरीक्षण में कई प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों से परीक्षण के दौरान भी विक्षिप्तता का बचाव प्रस्तुत नहीं किया। प्रारंभ में उसने केवल हृदयगति के बढ़ने एवं शरीर में कंपन की शिकायत की थी। बाद में लंबे समय उपरांत, अपीलार्थी के अनुरोध पर उसे मानसिक रोग विशेषज्ञ से परीक्षण हेतु भेजा गया, किंतु ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं पाया गया जो उसके मानसिक रूप से विक्षिप्त होने का संकेत देता हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. वर्तमान प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी की नज़र अपने चाचा की संपत्ति पर थी, और उसे संदेह था कि उसके चाचा अपनी संपत्ति अपने दामाद वीरेंद्र कुमार को देने वाले हैं, अतः उसने वीरेंद्र कुमार एवं उसके पारिवारिक सदस्यों के प्रति वैमनस्य पाल रखा था। इस वैमनस्य का परिणाम यह रहा कि वर्ष 1997 में उसने वीरेंद्र कुमार पर हमला किया, जिसकी शिकायत पुलिस में की गई थी। घटना के दिन, अपीलार्थी फरसा लेकर तालाब पहुँचा और उसने कु. सरिता मिश्रा पर अत्यंत निर्दयता एवं उग्रता से कई बार फरसे से हमला कर उसकी मौके पर ही मृत्यु कर दी। तत्पश्चात, उसने हथियार को धोया, सुखाया और अपने घर चला गया। उसी दिन उसी फरसे को उसके कब्जे से जब्त किया गया और उसे गिरफ़्तार किया गया। उस समय या उसके पश्चात दीर्घकाल तक किसी ने यह नहीं कहा कि अपीलार्थी मानसिक रूप से विक्षिप्त था अथवा उसे पूर्व में मानसिक रोग के लिए उपचार मिला था। अनेक प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के प्रतिपरीक्षण के दौरान भी अपीलार्थी ने विक्षिप्तता का कोई बचाव नहीं लिया। विचारण के दौरान अथवा अब तक अपीलार्थी को सिज़ोफ्रेनिया का कोई दौरा नहीं पड़ा। इसके विपरीत, परीक्षण के बाद यह पाया गया कि वह केवल दुर्बल है और कार्य करने में असमर्थ है। अतः, घटना से पूर्व की परिस्थितियाँ, घटना के समय की घटनाएँ एवं घटना के पश्चात की परिस्थितियों को सम्मिलित रूप से देखते हुए, यह नहीं

कहा जा सकता कि अपीलार्थी ने कु. सरिता मिश्रा की हत्या मानसिक विक्षिप्तता की अवस्था में की थी। एक सामान्य विवेकी व्यक्ति की दृष्टि से यह स्वीकार करना संभव नहीं है कि जब अपीलार्थी ने सरिता मिश्रा की हत्या की, उस समय वह मानसिक विक्षिप्तता के उग्र दौरे से पीड़ित था। अतः अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत बचाव प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

27. प्रकरण से संबंधित तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के समुचित परीक्षण के उपरांत, हम इस संतोषजनक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अभियोजन पक्ष आरोपित अपराध के लिए आवश्यक सभी तत्वों को, जिसमें आपराधिक मन: स्थिति भी सम्मिलित है, संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है।

28. परिणामस्वरूप, अपील गुणविहिन होने से निरस्त किये जाने योग्य है, और तदनुसार निरस्त की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही
एल.सी. भादू
न्यायाधीश

सही
वी. के. श्रीवास्तव
न्यायाधीश

14/11/2006

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Abhishek Banjare, Advocate